भवरसिंह बनाम सोहनसिंह वगैरह

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.)सिवाना
पीठासीन अधिकारी श्रीमति कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 06/20

वादीः–

1. भवरसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपुत निवासी छियाली तहसील समदडी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सोहनसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपुत निवासी छियाली तहसील समदडी
2. भीमसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपुत निवासी छियाली तहसील समदडी
3. विक्रमसिंह गोद पुत्र शिवनाथसिंह जाति राजपुत निवासी छियाली तहसील समदडी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी

वादपत्र बाबत् अधिकारो की घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः–

1. श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता वादीगण
2. अनुपस्थित प्रतिवादीगण

:: निर्णय::

दिनांकः– 16/07/21

यह वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया गया जिसका संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खसरा संख्या 135 रकबा 144 बीघा 17 विस्वा की भूमि सरहद मौजा छियाली में आया हुआ है जो वक्त सेटलमेंट हिरसिंह के विधिक वारिसान गुलाबसिंह, शिवनाथसिंह व किशोरसिंह 2/3 तथा प्रभू वल्द तगा कौम चोधरी के 1/3 हक हिस्से के तौर पर खातेदारी दर्ज था। मगर मौके पर वादी भवरसिंह व प्रतिवादीगण 1 व 2 भी बतौर वादी वादग्रस्त भूखण्ड पर काविज थे। ग्राम छियाली का रिसेटलमेंट संवत 2024 में होने पर खेत खसरा संख्या 135 के दो नये खसरे राजस्व कर्मचारी द्वारा राजस्व रेकर्ड में खसरा नं. 237 रकबा 58 बीघा 3 विस्वा हिरसिंह के विधिक वारिसान के नाम से व खसरा नं. 240 रकबा 29 बीघा 16 बिस्वा की भूमि प्रभूराम के हक हिस्से में राजस्व रेकर्ड में अलग अलग दर्ज कि गयी। वादग्रस्त खातेदारी खेत खसरा नं. 237 जो हिरसिंह के विधिक वारीसान गुलाबसिंह, शिवनाथसिंह व किशोरसिंह, भवरसिंह, सोहनसिंह, व भीमसिंह के हक हिस्से का था तथा मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज [illegible] इन्द्राज राजस्व रेकर्ड के दस्तावेज बंदोबस्त के कोलम संख्या 24 [illegible] वर्णित किया गया था मगर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हिस्से व [illegible] थे उनके द्वारा राजस्व कर्मचारियो से मिलावट कर वादी भवरसिंह [illegible] किशोरसिंह एवं गुलाबसिंह [illegible] नाम राजस्व रेकर्ड से हटा दिया जिसकी जानकारी वादी एवं अन्य भाईयो को होने नहीं दि मगर वादी के हक हिस्से में प्रतिवादीगण द्वारा कोई रूकावट दखल अंदाजी आज दिन तक पैदा नही कि जिससे वादग्रस्त खेत खसरां नं. 237 रकबा 58 बीघा 3 बिस्वा की भूमि पर वादी बतौर खातेदार काबिज कास्त है,

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:39:38 IST
Reason: SelfAttested

गुलाबसिंह व किशोरसिंह अविवाहित लाऔलाद फोत होने एवं अनपढ ग्रामीण व्यक्ति होने से राजस्व रेकर्ड में किये गये बदलाव की जानकारी नहीं होने से उनके द्वारा उपरोक्त गलत तरीके से किये गये इन्द्राज को चुनोती नही दि गयी। शिवनाथसिंह के द्वारा अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 3 को गोद लेने से शिवनाथसिंह की मृत्यु का उनके हक हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है जिससे वादग्रस्त भूमि में वादी का प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से 1/4 हक हिस्सा मौजुद है यानी की वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा मौजुद है जो घोषित किया जावे एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर बट्टे कायम किये जाकर भूमि की तरमीम अलग से कि जावे। एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे की वादग्रस्त भूमि में वादी के हक हिस्से में दखल अंदाजी रूकावट आदि पैदा नही करे।वादी के द्वारा घोषणा,स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवाडा का वाद पेश किया जाने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया ।

प्रतिवादीगण के सम्मन वाद चस्पानगी रिपोर्ट के साथ पेश होने के बाद प्रतिवादीगण की और रो उपस्थिति नहीं देने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर साक्ष्य वादी में स्वयं वादीं द्वारा बयान कलमबद्ध करवाए जाकर दस्तावेज 1–5 खसरा बंदोबस्त जमांबदी नक्शा एवं ग्राम प्रचायत का प्रमाण पत्र प्रदर्शित करवाये गए एवं अन्य कुल चार गवाह वादी साक्ष्य में पेश किये गये जिनके बयान कलमबद्ध किये गये।

वादी वकील की एक पक्षीय बहस को सुना गया। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यो को दोहराया व कथन किया कि खसरा संख्या 135 रकबा 144 बीघा 17 बिस्वा की भूमि सरहद मौजा छियाली आया हुआ है जो वक्त सेटलमेंट हिरसिंह के विधिक वारिसान गुलाबसिंह, शिवनाथसिंह व किशोरसिंह 2/3 तथा प्रभू वल्द तगा कौम चोधरी के 1/3 हक हिस्से के तौर पर खातेदारी दर्ज था। मगर मौके पर वादी भवरसिंह व प्रतिवादीगण 1 व 2 भी बतौर वादी वादग्रस्त भूखण्ड पर काबिज थे। ग्राम छियाली का रिसेटलमेंट संवत 2024 में होने पर खेत खसरा संख्या 135 के दो नये खसरे राजस्व कर्मचारी द्वारा राजस्व रेकर्ड में खसरा नं. 237 रकबा 58 बीघा 3 बिस्वा हिरसिंह के विधिक वारिसान के नाम से खसरा नं. 238 रकबा 29 बीघा 16 बिस्वा की भूमि प्रभूराम के हक हिस्से में राजस्व रेकर्ड में अलग अलग दर्ज कि गयी। वादग्रस्त खातेदारी खेत खसरा नं. 237 जो हिरसिंह के विधिक वारीसान गुलाबसिंह, शिवनाथसिंह व किशोरसिंह, भवरसिंह, सोहनसिंह, व भीमसिंह के हक हिस्से का था तथा मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त थे जिसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड के दस्तावेज बंदोबस्त के कोलम संख्या 24 में वर्णित किया गया था मगर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 पढे लिखे व सरकारी

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusum Lata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:39:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

सेवारत थे उनके द्वारा राजस्व कर्मचारीयो से मिलावट कर वादी भवरसिह, किशोरसिंह एवं गुलाबसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड से हटा दिया जिसकी जानकारी वादी एवं अन्य भाईयो को होने नहीं दी मगर वादी के हक हिस्से में प्रतिवादीगण द्वारा कोई रूकावट दखल अंदाजी आज दिन तक पैदा नही कि जिससे वादग्रस्त खेत खसरां नं. 237 रकबा 58 बीघा 3 बिस्वा की भूमि पर वादी बतौर खातेदार काबिज कास्त है, गुलाबसिंह व किशोरसिंह अविवाहित लाऔलाद फोत होने एवं अनपढ ग्रामीण व्यक्ति होने से राजस्व रेकर्ड में किये गये बदलाव की जानकारी नहीं होने से उनके द्वारा उपरोक्त गलत तरीके से किये गये इन्द्राज को चुनोती नही दि गयी। शिवनाथसिंह के द्वारा अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 3 को गोद लेने से शिवनाथसिंह की मृत्यु का उनके हक हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है जिससे वादग्रस्त भूमि में वादी का प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से 1/4 हक हिस्सा मौजुद है यानि की वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा मौजुद है, जिस पर हमने वादी अधिवक्ता द्वारा पेश तथ्य एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया पत्रावली का अवलोकन व गहनता से मनन किया पत्रावली पर वादी साक्ष्य में पेश दस्तावेज प्रदर्श 1 खसरा बंदोबस्त की नकल है। जिसमें वादी के अलावा प्रतिवादीगण एवं हिरसिंह के अन्य विधिक वारीसान का नाम कॉलम संख्या 24 में वर्णित है तथा कॉलम संख्या 26 के जरीये भूमापक द्वारा तस्दीकी बयानो के आधार पर शिवनाथसिंह, सोहनसिंह, भीमसिंह का नामा दर्ज किया जाना उल्लेख किया है उपरोक्त मगर अन्य खातेदार गुलाबसिंह, किशोरसिंह, भवरसिंह का नाम खातेदारी से हटाया जाने बाबत किसी भी सक्षम न्यायालय या अधिकारी का आदेश उपरोक्त दस्तावेज में उल्लेख नही किया है जिससे स्पष्ट है कि राजस्व कर्मचारी द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी या न्यायालय के आदेश से उपरोक्त इन्द्राज किया गया है। जो कानुनन न्यायोचित प्रतीत नही होता है। गुलाबसिंह व किशोरसिंह लाऔलाद फोत हुए एवं शिवनाथ सिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को गोद लिया गया उपराक्त तथ्यो बाबत वादी द्वारा दस्तावेज ग्राम पंचायत सेवाली का प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 पेश किया है। वादी द्वारा साक्ष्य वादी में वर्तमान खतोनी की नकल व नक्शा भी पेश किया गया [illegible] वादी का नाम दर्ज नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 का नाम बतौर [illegible] दर्ज है जिससे स्पष्ट है की वादग्रस्त खातेदारी खेत की भूमि में वादी का नाम दर्ज नहीं है। उसका नाम राजस्व रेकर्ड से गलत तरीके से हटाया गया है। वादग्रस्त भूमि पर वादी मौके पर बतौर खातेदार काबिज है उपरोक्त तथ्यो का समर्थन वादी द्वारा पेश अन्य गवाहो द्वारा करने से वादपत्र पर पेश दस्तावेज साक्ष्य सबुत से स्पष्ट है कि वादी प्रतिवादीगण के साथ वादग्रस्त भूमि पर बतौर खातेदार काबिज था जिसका नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश एवं न्यायालय की डिक्री के अभाव में

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:39:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रेकर्ड से हटाया गया है जिसे वादी स्वयं के सशपथ बयानो एवं उसके द्वारा पेश दस्तावेज साक्ष्य सबुतो एवं गवाहो के जरिये वादी द्वारा उपरोक्त तथ्यो को पूर्ण रूप से साबित किया है।

उपरोक्त तथ्यो एवं साक्ष्य सबुतो से वादी अपने वादपत्र को साबित करने में सफल रहा है जिससे वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य न्यायोचित प्रतीत होने से वादी का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त खातेदारी खेत खसरा नं. 237 रकबा 58 बीघा 3 बिस्वा सरहद मौजा छियाली तहसील समदडी कि भूमि में वादी का 1/4 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार अमल दरामद कर वादग्रस्त आराजी भूमि के अलग अलग हिस्से कायम करते हुए राजस्व रेकर्ड के नक्शे में अलग से तरमीम किये जाने की डिकी व निर्णय वादी के हक में जारी किया जाता है साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कि जाती है कि वादग्रस्त अराजी भूमि में वादी के हक हिस्से में प्रतिवादीगण स्वयं उसके मजदुर एजेंट वगैरह रूकावट दखल अंदाजी पैदा नंहीं करे। डिक्री अलग से जारी हो। पक्षकारन खर्चा अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

निर्णय आज दिनांक को 16.07.21 लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:39:38 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बाड़मेर) व इजलास कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 06/2020

वादी:–

1. भवरसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपुत निवासी छियाली तहसील समदडी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सोहनसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपुत निवासी छियाली तहसील समदडी
2. भीमसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपुत निवासी छियाली तहसील समदडी
3. विक्रमसिंह गोद पुत्र शिवनाथसिंह जाति राजपुत निवासी छियाली तहसील समदडी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी

वादपत्र बाबत् अधिकारो की घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : –16.07.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीगण व हाजरी कपिल श्रीमाली अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दई ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर वादी का वाद स्वीकार कर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है वादग्रस्त खातेदारी खेत खसरा नं. 237 रकबा 58 बीघा 3 बिस्वा सरहद मौजा छियाली तहसील समदडी कि भूमि में वादी का 1/4 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार अमल दरामद कर वादग्रस्त आराजी भूमि के अलग अलग हिस्से कायम करते हुए राजस्व रेकर्ड के नक्शे में अलग से तरमीम किये जाने की डिक्री व निर्णय वादी के हक में जारी किया जाता है साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादीगण के उक्त कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे।

बमुब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.07.2021 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर (S.D.O)
सिवाना
दिनांक :

कमांक: वाचक/2021/6763
प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।
भूमिधारक तहसीलदार, समदडी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:39:38 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर (S.D.O)
सिवाना